भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3067

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र

3067.श्रीमती रुचि वीरा:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य में आईसीडीएस योजना के अंतर्गत नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य, विशेषकर मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में वर्ष-वार कितने नए आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लंबे समय से पारिश्रमिक में वृद्धि किए जाने की मांग की जा रही है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में उक्त पारिश्रमिक में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य को कुल 190145 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 189021 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को बार-बार सलाह दी गई है कि वे अंतिम लाभार्थियों तक सेवाओं

की बेहतर प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत संख्या के भीतर आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित करने पर विचार करें।

(घ) से (च) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय से "मानदेय कार्यकर्त्री" हैं जो समुदाय की सहायता करने के लिए बच्चों की देखभाल और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। भारत सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से एडब्ल्यूडब्ल्यू/एडब्ल्यूएच के मानदेय में वृद्धि की है। वर्तमान में मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में एडब्ल्यूडब्ल्यू का मानदेय 4,500/- रुपये प्रति माह; मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर एडब्ल्यूडब्ल्यू का मानदेय 3,500/- रुपये प्रति माह तथा एडब्ल्यूएच का मानदेय 2,250/- रुपये प्रति माह है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250/- रुपये प्रति माह तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को 500/- रुपये का कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्मिकों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय का भुगतान कर रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहन एवं उत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय/पहलें की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाले आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों की पूर्ति के अधीन 5 वर्ष के अनुभव वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं।

ii. सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये के जीवन कवर (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु शामिल) का बीमा लाभ प्रदान किया गया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18-59 वर्ष के आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये (दुर्घटनावश मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है।

iii. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा कवर: कोविड-19 संबंधित कार्यों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका को कुछ शर्तों के साथ

"प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया है।

iv. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम): पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/ आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित कराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है, जो वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

v. सेवानिवृत्ति की तारीख : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन योजना सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तारीख अर्थात प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अपनाएं।

vi. अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज देने की घोषणा की गई है।

****